यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार के अवधि 09/2014 से 08/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री बी.डी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 16.09.2016 से 24.09.2016 के मध्य संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री रमेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 08/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 09/2014 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

क्र.सं.	**नाम**	**अवधि**
1.	ई.पी.पी. आर्य	09/2014 से 10/2015 तक
2.	ई. आर.के. चौहान	11/2015 से 10/06/2016
3.	ई. एम.के. करारृ	10/06/2016 से वर्तमान तक

अ. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर : भाग 1, 2, 3, 4 एवं स्टैन 1

ब. सतत् अनियमिततायें – शून्य

स . अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

द. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	मद विवरण	वित्तीय वर्ष		
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**
1	प्रारम्भिक अवशेष	246.337	242.422	138.401
2	वर्ष में प्राप्तियां			
	अ. केन्द्र	—	—	—
	ब. राज्य	1188.06	715.414	576.473
	स. अन्य स्रोतों से	—	50.00	130.00
3	कुल योग	1434.397	1007.836	844.874
4	कुल व्यय	1191.975	869.435	802.276
5	अन्तिम अवशेष	242.422	138.401	42.598

प्रस्तर 1 : एनआरडीडब्लूपी केन्द्र योजना में बिना अनुमति के अन्य खण्ड से ` 180.00 लाख तथा जिला योजना से ` 50.44 लाख का व्ययावर्तन।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या/29 (2)/12–2 (39 पे.)/20 दिनांक 24 सितम्बर 2012 के अंतर्गत टी.ए.सी. वित्त की परीक्षोपरान्त ` 2058.22 लाख में से ` 220.66 लाख (सेन्टेज की राशि को कम करते हुए) शेष धनराशि ` 1837.56 लाख की प्रशासकीय अनुमोदन स्वीकृति की गयी थी। सेन्टेज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। सम्बन्धित योजना के अंतर्गत 60 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करानी थी। इस संबंध में विभिन्न ठेकेदारों से पृथक पृथक कार्यों हेतु अनुबंध किया गया था। कार्यों को माह 06/2013 में आरम्भ किया गया था जिसकी पूर्ण करने की सम्भावित तिथि माह 03/2017 थी। वर्ष 2012 से वर्तमान तक केन्द्र सरकार द्वारा ` 545.61 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा ` 162.67 लाख अवमुक्त की गयी थी। मासिक लेखा और वर्क पंजिका के निरीक्षण में प्रकाश में आया की वर्तमान तक ` 992.899 लाख कार्य पर तथा ` 179.68 लाख सेन्टेज पर कुल ` 1172.57 लाख व्यय किया जा चुका था।

अतः केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त कुल राशि ` 708.28 लाख के विरूद्ध कार्य पर ` 992.89 लाख व्य किये जाने पर बताया गया कि अन्य खण्ड से वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में ` 180.00 लाख ऋण के रूप में तथा जिला योजना से वर्ष 2016 में ` 50.447 लाख अवमुक्त किया गया था। इस संबंध में जो अभिलेख उपलब्ध कराया गया उसके अनुसार ` 180.00 लाख की धनराशि अन्य खण्ड से ऋण के रूप में प्राप्त की गयी थी उसके लिए मुख्य अभियन्ता से मौखित आदेश प्राप्त किया गया था। तथा ` 50.44 लाख जिला योजना से प्राप्त किया गया था उसके लिए न तो जिलाधिकारी महोदय से अनुमति ली गयी थी और न ही उच्चाधिकारियों से अनुमति ली गयी थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि अन्य खण्ड से प्राप्त राशि के संबंध में मौखित आदेश उच्चाधिकारियों से लिये गये थे। तथा जिला योजना से प्रापत राशि स्वविवेक के आधार पर कार्यवाही की गयी थी।

इकाई का उत्तर स्वतः इस बात की पुष्टि करता है कि एनआरउीडब्लूपी योजना जो केन्द्र की योजना है में बिना अनुमति के अन्य खण्ड से ऋण के रूप में प्राप्त ` 180.00 लाख तथा जिला योजना से ` 50.44 लाख का व्ययावर्तन किया गया जो वित्तीय नियमों के सर्वथा प्रतिकूल था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 151.03 लाख का ठेका बिना निविदा प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार ठेकेदार का चुनाव करते समय कम सके कम तीन निविदाताओं से निविदा प्राप्त की जानी चाहिए तथा उनमें से सबसे कम दर पर निविदादाता को ठेका दिया जाना चाहिए तथा यदि प्रक्रिया का पूर्णतः पालन नहीं होता तो पुनः निविदा प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इकाई के अभिलेखों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यों में उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तथा दो या एक निविदादाता के आधार पर कार्यों को आवंटित किया गया।

(अ) जिला योजना के अंतर्गत जौई मल्ली तल्ली गांव जैरीखाल ब्लॉक में पेयजल येाजना ` 47.46 लाख की निविदा प्रकाशित की गयी थी। मात्र दो निविदादाताओं द्वारा दी गयी निविदा के विरूद्ध एक निविदादाता को ठेका दिया गया।

(ब) जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में जसकोट गुथोरा रिखडीखाल ब्लॉक पेयजल योजना में ` 64.33 लाख की निविदा प्रकाशित की गयी थी। उक्त योजना में तीन निविदादाताओं ने निविदा की परन्तु निविदा खोलने पर दो निविदादाताओं द्वारा कोई दरें अंकित नहीं की गयी थी। मात्र एक निविदादाता द्वारा दरें अंकित की गयी। बिना तुलनात्मक दरें प्राप्त किये एक मात्र निविदादाता जिसने निविदा की दरें अंकित की थी को ठेकदा दिया गया।

(स) जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में माजलीमिसेल पेयजल योजना में ` 39.24 लाख की निविदा प्रकाशित की थी। उक्त योजना में चार निविदादाताओं ने निविदा प्रकाशित की थी। परन्तु उक्त में से दो निविदादाताओं ने न तो सिक्यूरिटी राशि जमा की और न ही सम्पूर्ण कार्य की दरें ही निविदा में अंकित की। मात्र दो निविदादाताओं के आधार पर कम दर के निविदादाता को ठेका दिया गया।

इस संबंध में इकाई को इंगित किये जाने पर कि यदि निविदा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का पूर्ण पालन नहीं हो पाया था तो पुनः निविदा क्यो आमंत्रित नहीं की गयी। इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रथ्म न्यूनतम ठेकेदार की दरें विभागीय दरों से कम थी तथा पुनः निविदा आमंत्रित करने में अधिक

दरें आने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। अतः कार्यहित में प्रथम न्यूनतम निविदादाता की दरें स्वीकृत की गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मात्र इस आधार पर पुनः निविदा आमंत्रित न किया जाने की अधिक दरें आने की संभावना थी। क्रय अधिप्राप्ति नियमावली का सर्वथा उल्लघंन था।

अतः ` 151.03 लाख का ठेका बिना निविदा प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब

प्रस्तर 3 : अनुबंध की शर्तों का पालन किये बिना भुगतान किया जा ना और ` 42.39 लाख का असमायोजित अग्रिम।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) एवं एनआरडब्लूडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत जीपी/यूडब्लूसीसी के साथ प्रत्येक कार्य के अन्तर्गत किये जाने वाले अनुबंध में शर्ते निर्दिष्ट की गई है। जिसमें प्रत्येक कार्य की समय सीमा 9 माह निर्धारित की गयी है। तथा प्रत्येक जीपी/यूडब्लूसीसी को भुगतान 40,40 तथा 20 प्रतिशत के चरणों में किया जाना था, तथा प्रत्येक चरणों में भुगतान से पूर्व शर्तें भी दी गयी है। जिसमें विशेष रूप से जीपी/यूडब्लूसीसी को विभाग को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करना था, भुगतान के दावों की जांच करने के पश्चात भुगतान को अवमुक्त करना था, तथा विभाग को जीपी/यूडब्लूसीसी के सामग्री के मानकों एवं कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि कर रिपोर्ट करनी थी। उक्त के साथ कई अन्य शर्ते भी दी गयी थी, जिसका पालन जीपी/यूडब्लूसीसी एवं विभाग को किया जाना था।

अभिलेखों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा बिना भुगतान के जांच में मात्र जीपी/यूडब्लूसीसी से प्राप्त ट्रायल बैंलेस और वाउचरों के छायाप्रति के आधार पर किया जा रहा था और न ही विभाग द्वारा कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जा रही थी और न ही कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त की जा रही थी। साथ ही कार्य को समाप्त हुये एक वर्ष से तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद वर्तमान तक ` 42.39 लाख की राशि जीपी/यूडब्लूसीसी स्तर पर असमायोजित/अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

इस संबंध में इकाई को इंगित किये जाने पर सूचित किया गया की कार्य की वास्तविक स्थिति इकाई के पास उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व अग्रिम के समायोजन के उपरान्त ही जीपी/यूडब्लूसीसी द्वारा मांग पत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप भुगतान किया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि अनुबंध में दी गयी शर्तों का पालन किये बिना जीपी/यूडब्लूसीसी को भुगतान किये जाने का औचित्य नहीं होता। विशेष रूप से कार्य की वास्तविक स्थिति को जाने बिना तथा उसकी गुणवत्ता मान के अनुसार है या नहीं यह देखे बिना, दावों की जांच

किये बिना भुगतान किया जाना तथा कार्य की समाप्ति के बाद अविलम्ब कार्य का समायोजन न किया जाना। जीपी/यूडब्लूसीसी स्तर पर किये गये कार्य एवं भुगतान के प्रति लापरवाही को इंगित करता है।

अतः अनुबध की शर्तों का पालन किये बिना भुगतान किया जाना और ` 42.39 लाख का असमायोजित अग्रिम का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेख**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वारशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र